

By speed post/Email
Show Cause Notice

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर
305002



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-
2695202

ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या MCDR-MiFLOGEN/6/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 21-03-2025

प्रेषित: M/s Haritsons Minetech Private Limited

Nandam-2,A 2 Tilak Marg C scheme

Jaipur

(Email: hmpl.barmer@gmail.com, hmpl.haritosns@gmail.com)

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your mine code No.97RAJ04008 Siliceous Earth of 4.0 hect. situated in Bariyara Sheo Tehsil of Barmer District Rajasthan

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Nishant Kumar Rao, SrACOM on 25/07/24 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 45(7)	In annual return 2023-24 following discrepancies were observed: - PMCP Kmz file is not attached. In Part I at sl no. 12. Lease area (surface area) utilisation as at the end of year (hectares): Being shown as zero PART-III (Consumption of Materials): All table shown as zero even though excavation was done . Part VI: At sl no. 3(ii) Ex mine price shown as rs 566.42 even though there is no production At sl no. 5 Sales dispatch the material being dispatch to consignee which is not register with IBM . Cost of production being shown rs 612/ ton whereas there is no production declared during year as well royalty was taken rs 89/ ton but royalty paid in part III shown as zero

02. इससंदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समझौते की सिफारिश की जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

भवदीय

एन. के. राव
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ .

- 1 खाननियंत्रक (उत्तर), भारतीय खानब्यूरो, उदयपुर, ईमेल द्वारा ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंताए खान एवं भूविज्ञान विभाग, बारमेर ।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो